न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 772 सन 2019
अनवान :—

1. विनोद कुमार 2 पूनम पि0 मंगतुराम जाति मेधवाल निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :— श्री भरतसिह बैनीवाल वादी
निर्णय दिनांक :— 10/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 99/100 के खसरा न0 104 की 6.8800हैक्‍ भूमि में वादीगण का 200 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का पता राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है वादीगण के पिता पूर्व में धीगतानिया में निवास करते थे इसलिये राजस्व रिकार्ड में धींगतानिया दर्ज हो गया है वादीगण को वाद भूमि अपने नाना भगवानाराम पुत्र दलुराम की वसीयत से आई है जो ललानाबास श्योपुरा में निवास करते थे वसीयत के अनुसार भूमि वादीगण को प्राप्त हो गई किन्तु पता धीगतानीया दर्ज कर दिया जबकि वादीगण वर्तमान में रायसिहपुरा निवास करते है सहवन से राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से दर्ज हो गया है वादीगण का राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से अंकित होने से वादीगण राज्य सरकार के द्वारा दी जानी वाली सुविधाओं को लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है

वादीगण के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादीगण का पता रायसिहपुरा दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का निवासी स्थान धीगतानीया दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 99/100 के खसरा न0 104 की 6.8800हैक्‍ भूमि में वादीगण का 200 हिस्सा में वादीगण का निवासी स्थान धीगतानीया के स्थान पर रायसिहपुरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का निवास स्थान दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 99/100 के खसरा न0 104 की 6.8800हैक्‍ भूमि में वादीगण का 200 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का पता राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है वादीगण के पिता पूर्व में धीगतानिया में निवास करते थे इसलिये राजस्व रिकार्ड में धीगतानिया दर्ज हो गया है वादीगण को वाद भूमि अपने नाना भगवानाराम पुत्र दलुराम की वसीयत से आई है जो ललानाबास श्योपुरा में निवास करते थे वसीयत के अनुसार भूमि वादीगण को प्राप्त हो गई किन्तु पता धीगतानीया दर्ज कर दिया जबकि वादीगण वर्तमान में रायसिहपुरा निवास करते है सहवन से राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से दर्ज हो गया है वादीगण का राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से अंकित होने से वादीगण राज्य सरकार के द्वारा दी जानी वाली सुविधाओं को लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है

वादीगण के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादीगण का पता रायसिहपुरा दर्ज है लेकिन राजस्व

उपखण्डाधिकारी
नोहर

रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का निवासी स्थान धीगतानीया दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 99/100 के खसरा न0 104 की 6.8800हैक्ट भूमि में वादीगण का 200 हिस्सा का वादीगण खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का पता धीगतानीया, दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीगण वर्तमान में नोहर तहसील के गांव रायसिहपुरा में निवास करते है सहवन से वादीगण का निवासी स्थान धीगतानीया दर्ज हुआ है जिसे संशोधन किया जावें

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादीगण का पता रायसिहपुरा दर्ज है सरंपच ग्राम पचांयत दलपतपुरा के अनुसार वादीगण गांव रायसिहपुरा में ही निवास करते है व अपनी खातेदारी भूमि काश्त करते आ रहे है निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में धीगतानीया के स्थान पर रायसिहपुरा किया जाना उचित है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादीगण का पता रायसिहपुरा दर्ज है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का पता राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत दलपतपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 99/100 के खसरा न0 104 की 6.8800हैक्ट भूमि में वादीगण का 200 हिस्सा में वादीगण का निवास स्थान धीगतानीया दर्ज है के स्थान पर रायसिहपुरा संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. विनोद कुमार 2 पूनम पि0 मंगतुराम जाति मेधवाल निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 717 सन 2018 निर्णय दिनांक– 10/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 99/100 के खसरा न0 104 की 6.8800हैक्ट भूमि में वादीगण का 200 हिस्सा में वादीगण का निवास स्थान धीगतानीया दर्ज है के स्थान पर रायसिहपुरा संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)